

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 397 /2026-27 दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

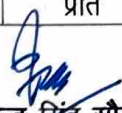
विज्ञप्ति / पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2021 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 के नियम-16 में निहित प्राविधानों तहत इस कार्यालय के पत्रांक/सेवाएं-3क(2)/अराज0/5221-33/2024-25 दिनांक 16.04.2025 के क्रमद्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600, नया वेतन मैट्रिक्स:-44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु संबंधित शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर संबंधित शिक्षकों की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी, जिस हेतु संबंधित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा। निम्नांकित अध्यापकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है।

विषय-व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र0सं0	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम एवं जनपद	पदस्थापित विद्यालय का नाम एवं जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	दीवान सिंह दिगारी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 र्खौतडी पिथौरागढ़	रा0इ0का0 जौरासी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2	सूरज सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 रतमोली बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0 बिलौना बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
3	दीपक सिंह शाही स0अ0	रा0जू0हा0 कपकोट अल्मोड़ा	रा0इ0का0 महतगांव अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
4	कमलेन्द्र सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 गानुरा पिथौरागढ़	रा0इ0का0 पिल्खी पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
5	भुवन चन्द्र उपाध्याय स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बोकटा पिथौरागढ़	रा0आ0इ0का0 कनालीछीना पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
6	धीरेन्द्र कुमार पंत स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 लोधियाबगड़ पिथौरागढ़	रा0इ0का0 सिंगाली पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
7	हेमन्त कुमार डसीला स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बुज्याड़ पिथौरागढ़	रा0उ0मा0वि0 चामाचौड़ पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
8	नरेन्द्र सिंह बोहरा स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 धराड़ी पिथौरागढ़	रा0इ0का0 कोठेरा पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
9	यशपाल सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 चौकुनी अल्मोड़ा	रा0इ0का0 नैल अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10	महेन्द्र सिंह मेहता प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भयू बागेश्वर	रा0इ0का0 तिलाड़ी बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
11	महिपाल सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 पोथिंग बागेश्वर	रा0इ0का0 मण्डलसेरा बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
12	देव सिंह स0अ0	रा0जू0हा0 करली बागेश्वर	रा0इ0का0 रवाईखाल बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
13	दिवान सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 झोपड़ा बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0 बहुली बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
14	बसन्त सिंह माजिला प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 नरगोल बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0 कैड़ागांव, नैनीताल (उच्चीकृत रा0इ0का0)	रिक्त पद के प्रति

15	सुरेश सिंह राठौर स0अ0	रा0क0उ0प्रा0वि0 तोली बागेश्वर	रा0इ0का0 सोराग बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
16	मनोज कुमार प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कपूरी बागेश्वर	रा0इ0का0 दशाईथल पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
17	भूपाल सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 परेणा बागेश्वर	रा0इ0का0 कौसानी बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
18	हरेन्द्र विक्रम सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भण्डारी सेरा बागेश्वर	रा0इ0का0 नैनीचौगर्खा अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
19	नवीन सिंह कफलिया स0अ0	रा0पू0मा0वि0 सूनाकोट पिथौरागढ़	रा0इ0का0 बलुवाकोट, पिथौरागढ़ दिव्यांग कार्मिक	रिक्त पद के प्रति


 (गजेन्द्र सिंह सोन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/3950-62/2026-27 दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. मुख्य शिक्षा अधिकारी-संबंधित जनपद, कुमाऊँ मण्डल।
06. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
08. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
09. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा संबंधी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी संबंधित को कार्यभार ग्रहण/मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हों।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2019 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में न्यूनतम वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स:- 44900-142400, लेवल-7 में कार्यरत हो।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन/प्रशिक्षण योग्यता संबंधी उपबन्ध पूर्ण करता/करती हो।
11. संबंधित शिक्षकों को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति नहीं की जायेगी, उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित शिक्षकपदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों मूल प्रति (02 प्रमाणित छायाप्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
12. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


 मण्डलीय अपर निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/398 /2026-27 दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2021 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 के नियम-16 में निहित प्राविधानों तहत इस कार्यालय के पत्रांक/सेवाएं-3क(2)/अराज0/5221-33/2024-25 दिनांक 16.04.2025 के क्रमद्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600, नया वेतन मैट्रिक्स:-44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु संबंधित शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर संबंधित शिक्षकों की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी, जिस हेतु संबंधित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा। निम्नांकित अध्यापकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है।

विषय-व्यायाम (महिला शाखा)

क्र0सं0	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम एवं जनपद	पदस्थापित विद्यालय का नाम एवं जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	बबीता महारा स0अ0	रा0पू0मा0वि0 राममन्दिर पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 बेरीनाग पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
2	तारा ऐठानी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 रीठाबगढ़ बागेश्वर	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म ऊधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
3	हेमलता डांगी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 महरूड़ी बागेश्वर	रा0क0इ0का0 सुल्तानपुर ऊधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
4	भारती गढिया स0अ0	रा0जू0हा0 ढूंगापाटली बागेश्वर	रा0क0उ0मा0वि0 चनौदा अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. मुख्य शिक्षा अधिकारी-संबंधित जनपद, कुमाऊँ मण्डल।
06. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
08. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
09. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा संबंधी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी संबंधित को कार्यभार ग्रहण/मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
(क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हों।
(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2019 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में न्यूनतम वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स:- 44900-142400, लेवल-7 में कार्यरत हो।
(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन/प्रशिक्षण योग्यता संबंधी उपबन्ध पूर्ण करता/करती हो।
11. संबंधित शिक्षकों को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति नहीं की जायेगी, उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित शिक्षक पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों मूल प्रति (02 प्रमाणित छायाप्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
12. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 399 /2026-27 दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2021 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 के नियम-16 में निहित प्राविधानों तहत इस कार्यालय के पत्रांक/सेवाएं-3क(2)/अराज0/5221-33/2024-25 दिनांक 16.04.2025 के क्रमद्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600, नया वेतन मैट्रिक्स:-44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु संबंधित शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर संबंधित शिक्षकों की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी, जिस हेतु संबंधित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा। निम्नांकित अध्यापकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है।

विषय- गृह विज्ञान (महिला शाखा)

क्र0सं0	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम एवं जनपद	पदस्थापित विद्यालय का नाम एवं जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	ममता पन्त प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जोलस्यूनरा अल्मोड़ा	पी0एम0श्री0 रा0क0इ0का0 बाड़ेछीना अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2	रंजना जोशी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 फूलबाग सेंटर ऊधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 तल्ला रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
3	शोभा बिष्ट प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 गौलीमहर अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 हरिदासपुर ऊधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
4	देवेन्द्री भण्डारी प्र0अ0	रा0प्रा0वि जाख पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म ऊधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. मुख्य शिक्षा अधिकारी-संबंधित जनपद, कुमाऊँ मण्डल।
06. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
08. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
09. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा संबंधी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी संबंधित को कार्यभार ग्रहण/मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हों।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2019 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में न्यूनतम वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स:- 44900-142400, लेवल-7 में कार्यरत हो।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन/प्रशिक्षण योग्यता संबंधी उपबन्ध पूर्ण करता/करती हो।
11. संबंधित शिक्षकों को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति नहीं की जायेगी, उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित शिक्षक पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों मूल प्रति (02 प्रमाणित छायाप्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
12. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2021 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 के नियम-16 में निहित प्राविधानों तहत इस कार्यालय के पत्रांक/सेवाएं-3क(2)/अराज0/5221-33/2024-25 दिनांक 16.04.2025 के क्रमद्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षिका को स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600, नया वेतन मैट्रिक्स:-44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षक की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु संबंधित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर संबंधित शिक्षक की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी, जिस हेतु संबंधित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा। निम्नांकित अध्यापिका को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है।

विषय-कला (महिला शाखा)

क्र0सं0	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम एवं जनपद	पदस्थापित विद्यालय का नाम एवं जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	अफसीन अंसारी स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 नौलापानी चम्पावत	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म ऊधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 3987-98 /2026-27 दिनांक-उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 04. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 05. मुख्य शिक्षा अधिकारी-चम्पावत एवं ऊधमसिंहनगर।
 06. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
 08. वित्त. एवं लेखाधिकारी कार्यालय संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 09. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी।
 10. संबंधित प्रधानाचार्य को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा संबंधी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी संबंधित को कार्यभार ग्रहण/मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
- (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हों।
(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2019 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में न्यूनतम वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स:- 44900-142400, लेवल-7 में कार्यरत हो।
(ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन/प्रशिक्षण योग्यता संबंधी उपबन्ध पूर्ण करता/करती हो।

11. संबंधित शिक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति नहीं की जायेगी, उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित शिक्षक पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों मूल प्रति (02 प्रमाणित छायाप्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
12. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल